बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0 संख्या–भवन/11/आरोप (मधुबनी)–01/2012........10919 (अ)/ पटना, दिनांक– 6.12.17

:: अधिसूचना ::

(1) श्री ओम शान्ति कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी के विरूद्ध (i) बिना अनुमति/स्वीकृति के मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, (ii) उच्चाधिकारी/माननीय न्यायाधीश के आदेश का उल्लघंन करने, (iii) बिना अकास्मिक अवकाश लिये तथा बीमारी की बात कह पोलिटेक्निक जमीन की मापी में अनुपस्थित रहने तथा (vi) औफिसर्स कॉलोनी, मधुबनी के चाहरदिवारी को तोड़ने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करने सबंधित प्रतिवेदित आरोपों के लिये विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12581(भ0) दिनांक–10.09. 2013 द्वारा (i) निंदन एवं (ii) पाँच (05) वार्षिक वेतनवृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित किया गया।

(2) पुनः श्री ओम शान्ति कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध (i) बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने (ii) समविकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में भाग नहीं लेने (iii) माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान माँगी गयी अक्षांस रेखाओं से संबंधित सूचनाएँ नहीं उपलब्ध कराने और (iv) अपने स्पष्टीकरण में अमर्यादित एवं अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने के आरोप के लिये विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–16557(भ0) दिनांक–20.12.2013 द्वारा (i) दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित किया गया है।

उक्त संदर्भ में महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक–जी0ई0–04–PWD-K-4-15-746 दिनांक–11.11.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त दोंनों अधिसूचनाओं के आलोक में श्री कुमार का 07/2014, 07/2015 तथा 07/2016 का वेतन वृद्धि रोकते हुए वेतन पूर्जा निर्गत किया गया है, किन्तु श्री कुमार के दिनांक–31.12.2016 को सेवानिवृत्त होने के कारण उक्त दोनों विभागीय दंडादेशों के अन्य दण्ड को प्रभावी कर पाना संभव नहीं है एवं इस संबंध में महालेखाकार द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा शेष निष्प्रभावी दण्ड के संबंध में पुनरीक्षण (Review) करने का परामर्श दिया गया।

विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री ओम शान्ति कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा/मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त को उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा संसूचित दण्ड जो दिनांक–31.12.2016 को सेवानिवृत्त होने के कारण प्रभावी नहीं हो सका है को विभागीय स्तर पर पुनरीक्षण करते हुए इन्हें विलोपित किया जाता है।

इस संबंध में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्पाल के आदेश से,

6/12/2017

(रविशंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 10920 (अ) पटना दिनांक– 6.12.17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वैयिक्तक दावा निर्धारण कोषांग) बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/12/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 10920 (अ) पटना दिनांक– 6.12.17

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 10920 (अ) पटना दिनांक– 6.12.17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण, विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया / दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा / मधुबनी / उप सचिव, भवन निर्माण विभाग / अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग / श्री ओम शांति कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा / मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता–श्री कृष्णापुरी, टाईप एम0–03, फ्लैट न0–8, पटना–800001 / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

5.12.17